विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल (श्री)
दिशानिर्देश और प्रारूप

कौन आवेदन कर सकता है?

कॉल फॉर प्रपोजल के तहत निर्दिष्ट विषयगत क्षेत्रों के आधार पर, प्रस्ताव परियोजना अन्वेषक (पीआई) द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है

(क) विरासत क्षेत्र में कार्यरत सरकारी शैक्षिक संस्थान (केंद्र और राज्य सरकार)/सरकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निकाय/अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं।

(ख) निजी शैक्षिक संस्थानों (विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों और यूजीसी /एआईसीटीई/ एमसीआई /डीसीआई/ पीसीआई आदि द्वारा मान्यता प्राप्त या विनियमित सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों) को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के रूप में माना जाएगा। वे ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एनजीओ/वीओ विकल्प का उपयोग करेंगे।

(ग) विधिक दर्जा प्राप्त या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में या भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 अथवा धर्मार्थ या धार्मिक अधिनियम, 1920 के अंतर्गत पंजीकृत न्यास के रूप में अथवा संगत राज्य अधिनियम के अंतर्गत सोसायटी/न्यास आदि के रूप में पंजीकरण के बाद कम से कम तीन वर्ष के अस्तित्व वाले राज्य के अधिनियम के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ)। प्रौद्योगिकी विकास, प्रसार, वितरण और प्रबंधन में क्षेत्र-स्तरीय अनुभव। भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों की सहायता से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने वाली परियोजनाओं के प्रबंधन में अनुभव।

केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा काली सूची में डाले गए किसी भी संगठन को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, निजी शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को डीएसटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ई-पीएमएस), https://onlinedst.gov.in/ पर पूरा प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

- वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र/ट्रस्ट डीड की प्रति
- एसोसिएशन का ज्ञापन,
- सोसायटी के नियम और उपनियम।
- लेखा परीक्षित लेखा विवरण
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट।
- एनजीओ दर्पण पोर्टल में संगठन की विशिष्ट पहचान संख्या

नोट:

व्यक्तियों/संस्थानों के नेटवर्क पर अनुकूल रूप से विचार किया जाएगा जहां परियोजना गतिविधियों के लिए बहु-अनुशासनात्मक, बहु-संस्थागत भागीदारी की आवश्यकता होती है।

विरासत परंपराओं और उत्पादों के मामले में, हितधारक भागीदारी आवश्यक है।
श्री कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से ही चल रही परियोजनाओं वाले परियोजना अन्वेषक को सलाह दी जाती है कि वे पिछली परियोजना के आवश्यक तार्किक निष्कर्ष के बिना आवेदन न करें।

प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन और जांच चालू और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणों में की जाएगी।

प्रस्तावों का मूल्यांकन कार्यक्रम के जनादेश और इसकी वैज्ञानिक और अभिनव सामग्री के लिए इसकी प्रासंगिकता के आधार पर किया जाएगा।

केवल ई-पीएमएस के माध्यम से डीएसटी को प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम (हार्ड कॉपी या ई-मेल) से की गई प्रस्तुतियों और अधूरी जानकारी वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

चयन के लिए प्रक्रिया और मानदंड की समीक्षा

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन योग्यता और पात्रता शर्तों के अनुपालन के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति (ईसी) द्वारा किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति के सभी सदस्य डीएसटी के दिशानिर्देशों और हितों के टकराव की नीति से बंधे हैं। पैनल प्रक्रियाओं या उत्पादों, अंतः विषय अनुसंधान और अकादमिक-उद्योग-सामाजिक इंटरफ़ेस में संभावित वितरण का प्रदर्शन करने वाले प्रस्तावों की सिफारिश करेगा। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। डीएसटी किसी भी समय समीक्षा प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवेदकों को प्रक्रिया में किसी भी प्रासंगिक संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं, हालांकि, प्रत्येक मानदंड का भार लाभार्थियों के लिए प्रत्याशित उत्पादन, परिणाम, प्रभाव और महत्व पर निर्भर करेगा।

I. कार्यक्रम के आह्वान और जनादेश के साथ प्रस्ताव की प्रासंगिकता
II. प्रस्ताव के साथ उद्देश्यों की प्रासंगिकता
III. प्रस्तावित अंतःक्षेप/अनुसंधान की आवश्यकता
IV. समस्या-आधारित अंतर विश्लेषण की पहचान
V. मौजूदा विकल्पों पर सुधार की गुंजाइश
VI. कार्यप्रणाली और अपेक्षित आउटपुट और परिणाम
VII. सहयोगियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट चित्रण
VIII. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में परियोजना टीम/संस्थान की विश्वसनीयता, ट्रैक रिकॉर्ड और प्रतिबद्धता

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2023

प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रारूप

विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल (श्री)

(परियोजना अन्वेषक द्वारा भरा जाना है)

1. **प्रस्ताव का शीर्षक**:

   .....

   मुख्य शब्द

   .....

2. राज्य: .....

3. विषयगत क्षेत्र: - (कृपया टिक मार्क करें (√)

- **i. संरक्षण अभियांत्रिकी**
- ii. **3 डी विरासत स्थलों / प्रथाओं का डिजिटलीकरण**
- **iii. भू-स्थानिक मानचित्रण**
- **iv. जोखिम मूल्यांकन**
- **v. लोकगीत और संस्कृति का प्रलेखन**
- **vi. विरासत समूहों का विकास**
- **vii. उत्कृष्टता केन्द्र**
- **viii. स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण**
- **ix. योग और ध्यान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (सत्यम)**
- **x. विज्ञान और विरासत से संबंधित कोई अन्य क्षेत्र**

4. परियोजना की प्रस्तावित अवधि: (महीनों की संख्या)

5. **कुल लागत: रु.**

   आवर्ती लागत: रु.

   गैर-आवर्ती लागत: रु.

   मेजबान संस्थान द्वारा योगदान (यदि कोई हो)

6. प्रमुख अन्वेषक:

6.1. नाम:

6.2. विभाग:

6.3. पदनाम:

6.4. संगठन /संस्था का नाम:

6.5. पता (टेलीफोन (कार्यालय एवं निवास, ई-मेल, फैक्स सहित) पिन:

6.6. जन्म तिथि:

6.7. लिंग (एम/एफ):

6.8. ई -मेल आईडी:

7. सह-अन्वेषक:

7.1 नाम:

7.2 पदनाम:

7.3 विभाग:

7.4 संगठन/संस्था का नाम:

7.5 पता (टेलीफोन (कार्यालय एवं निवास, ई-मेल, फैक्स सहित) पिन:

7.7 जन्म तिथि:

7.7 लिंग (एम /एफ):

7.8 ई -मेल आईडी:

8. संगठन की क्षमता (एस):

(क) विशेषज्ञता उपलब्ध है:

(ख) चल रही और पूरी हो चुकी परियोजनाओं की सूची निम्नलिखित विवरण देती है:

परियोजना का शीर्षक	प्रारंभ दिनांक	पूरा होने की तारीख	परियोजना की लागत	प्रायोजक संगठन

ख. तकनीकी विवरण

1. पृष्ठभूमि

1.1.समस्या का विवरण

1.2.पहले से किए गए कार्य की समीक्षा

1.3.परियोजना शुरू करने का औचित्य

1.4.विरासत विज्ञान की प्रासंगिकता.

1.5.मेजबान संस्थान/उद्योग में प्रतिबद्ध वित्तीय संसाधन (यदि कोई हो)

2. चुनौती और बाधाएं

(कृपया तकनीकी विशेषज्ञता, टीम निर्माण, पिछले रिकॉर्ड आदि के संदर्भ में वर्तमान परियोजना की तुलना में कार्यान्वयनकर्ताओं की ताकत और कमजोरियों की पहचान करें। कथित अवसरों और खतरों को भी सूचीबद्ध करें और वर्णन करें कि पीआई / संगठन उन्हें कैसे भुनाने या उन्हें रोकने का प्रस्ताव करता है ।

3. प्रस्ताव का विवरण

3.1. परियोजना के उद्देश्य (सटीक और बुलेट के रूप में)

3.2. प्रारंभिक जांच या प्रारंभिक कार्य पीआई और टीम द्वारा किया गया।

3.3. परियोजना में एस एंड टी घटक (सटीक और बुलेट रूप में)

3.4. प्रस्ताव की नवीनता/विशिष्टता।

3.5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों, संसाधन व्यक्तियों/अनुसंधान एवं विकास के साथ संबंध तकनीकी बैकअप के लिए संगठन / उद्योग।

3.6. इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य संगठन

3.7. चरणबद्ध गतिविधियों और उप-गतिविधियों का विवरण देने वाली पद्धति।

4. कार्य योजना

(परियोजना के बाद की गतिविधियों तक चरण-वार कार्य योजना जिसमें समय-सारणी और मील के पत्थर का विवरण दिया गया है, को स्पष्ट रूप से इंगित किया जा सकता है। PERT/GANTT चार्ट संलग्न किया जा सकता है.)

5. **परियोजना के अपेक्षित परिणाम (मापनीय मापदंडों में आउटपुट को मापने का प्रयास किया जा सकता है)**
6. **परियोजना के वितरण (सटीक और गोली के रूप में).**
7. **संभावित प्रभाव (कृपया मात्रा निर्धारित करें)**
8. **परियोजना की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए पैरामीटर**
9. **परियोजना के बाद की गतिविधियों का सुझाव दिया गया**

ग. बजट अनुमान: सारांश

बजट *(रुपये में राशि)*					
क्र. सं	**मद**	**पहला वर्ष**	**दूसरा वर्ष**	**तीसरा वर्ष**	**कुल**
क.	**पुनरावर्ती**				
1.	श्रमशक्ति				
2.	उपभोग्य सामग्री				
3.	संयोग				
4.	यात्रा				
ख.	**गैर-आवर्ती**				
5.	स्थायी उपकरण				
6.	ओवरहेड शुल्क				
कुल (क +ख)					

- वित्तीय वर्ष: अप्रैल से मार्च।
- परियोजना शुरू करने के लिए अपेक्षित समय बिंदु पर पहुंचने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से छह महीने की गणना करें।
- कृपया प्रत्येक शीर्षक के लिए संक्षिप्त औचित्य प्रदान करें (प्रत्येक के लिए 100 शब्द) ।

वेतन/मजदूरी के लिए बजट

क्र. सं	**पद**	**मासिक परिलब्धियाँ**	**संख्या**	**पहला वर्ष**	**दूसरा वर्ष**	**तीसरा वर्ष**	**कुल (रू.)**	**औचित्य या जनशक्ति की भूमिका**
पूर्णकालिक								
1								
2								
पार्ट टाइम								
			कुल (रु.)					

- बजट राशि से पहले कोष्ठक के भीतर दिए जाने वाले मानव महीनों

उपभोग्य सामग्रियों के लिए बजट (रुपये में)

क्र. सं	आइटम	मात्रा	औचित्य	पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	कुल
कुल							

यात्रा के लिए बजट (रुपये में)

क्र. सं	वर्णन	औचित्य	पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	कुल
1.	स्थानीय					
2.	बाहरी					
कुल						

अन्य लागत के लिए बजट

					(रुपये में)
कुल					बजट
	पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	कुल	
क. आकस्मिकताओं ख. अन्य					
कुल					

स्थायी उपकरणों के लिए बजट

स्थायी उपकरणों के लिए बजट (रुपये में)				
क्र. सं	उपकरण का नाम *	मात्रा	अनुमानित लागत	औचित्य
1.				
2.				
कुल				

- कृपया प्रत्येक उपकरण के लिए औचित्य दें।

घ. जांचकर्ताओं के बायोडेटा के लिए प्रोफार्मा

क. नाम:

ख. जन्म तिथि

ग. संस्था

घ. सामान्य/एससी/एसटी

ङ. शैक्षणिक कैरियर:

च. व्यावसायिक कैरियर:

छ. अन्वेषक द्वारा जीता गया पुरस्कार/पुरस्कार/प्रमाण पत्र इत्यादि:

ज. प्रकाशन (केवल संख्याएँ):

पुस्तकें अनुसंधान पत्र, सामान्य लेखों की रिपोर्ट

पेटेंट अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

झ. पूरी हो चुकी और चल रही परियोजनाओं की सूची

क्र सं.	परियोजना का शीर्षक	अवधि	कुल लागत	फंडिंग एजेंसी	से - तक

क. पीआई द्वारा प्रस्तुत परियोजनाएं

क्र सं.	परियोजना का शीर्षक	फंडिंग एजेंसी का नाम	पद

(नाम और हस्ताक्षर)

दिनांक .....

स्थान .....

अनुलग्नक-I

मुख्य अन्वेषक से वचन

परियोजना का शीर्षक: "_____"

1. मैंने विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल (श्री) कार्यक्रम के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ा है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।
2. मैंने वित्तीय सहायता के लिए कहीं और यह या इसी तरह का परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।
3. मेरे पास विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल (श्री) कार्यक्रम के तहत कोई चालू परियोजना नहीं है।
4. मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे संस्थान/संगठन में उपलब्ध कोई भी वस्तु/उपकरण इस परियोजना के अंतर्गत नहीं खरीदा जाएगा।
5. मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि परियोजना पर सरकारी धन का संचय नहीं किया जाएगा। मैं निधि के प्रभावी उपयोग की जिम्मेदारी।
6. मैं वचन देता हूं कि परियोजना के अंतर्गत खरीदे गए स्थायी उपस्करों की निष्क्रिय क्षमता अन्य प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी।
7. मैंने निम्नलिखित संलग्न किया है:

   क. संगठन के प्रमुख से समर्थन (पत्र शीर्षक पर)

प्रधान अन्वेषक:

नाम, हस्ताक्षर एवं दिनांक:

स्थान:

संगठन के प्रमुख का समर्थन

(आधिकारिक लेटर-हेड पर)

परियोजना का शीर्षक: "_____"

मूल्य: अवधि:

1. इस बात की पुष्टि की कि संगठन डॉ. /श्री/सुश्री की भागीदारी का स्वागत करता है।..... पीआई के रूप में और डॉ. परियोजना के लिए सह-पीआई के रूप में और पीआई द्वारा बंद करने की अप्रत्याशित और वैध घटना में, सीओ-पीआई परियोजना को पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। इस आशय की जानकारी, मेरे द्वारा समर्थित, तुरंत डीएसटी को भेजी जाएगी।
2. इस बात की पुष्टि की गई कि परियोजना के अधिनिर्णय के नियमों और शर्तों के अनुसार उपकरण और बुनियादी और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं परियोजना की पूरी अवधि के दौरान अन्वेषक (ओं) को उपलब्ध कराई जाएंगी। परियोजनाओं के तहत खरीदे गए सभी उपकरण डीएसटी की प्रशासनिक अभिरक्षा बने रहेंगे जब तक कि डीएसटी द्वारा उसी मुद्दे के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।
3. संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि जीएफआर 2017 के नियम के अनुसार, उपकरणों की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से की जा सकती है, जिस हद तक वहां उपलब्ध है क्योंकि परियोजना में सरकारी वित्त पोषण शामिल है।
4. संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी परिस्थिति में, सरकारी निधि का संचय नहीं किया जाएगा। निधि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिस उद्देश्य के लिए इसे प्रदान किया गया है।
5. संस्थान पीएफएमएस के व्यय अग्रिम और हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल का उपयोग करना सुनिश्चित करेगा।
6. संगठन निर्धारित प्रारूप में डीएसटी द्वारा अपेक्षित अनुदान के तहत व्यय का लेखापरीक्षित विवरण और निधियों का उपयोग प्रमाण पत्र समय पर प्रदान करेगा और जारी किए गए अनुदान के लिए सभी ब्याज और अन्य आय खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद भारत की समेकित निधि (गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) के माध्यम से, अर्थात www.bharatkosh.gov.in के माध्यम से) में भेज दी जाएगी। क्योंकि इसे भविष्य में अनुदान जारी करने के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा

(संगठन के प्रमुख)

मुहर/स्टाम्प

दिनांक:

स्थान: